IX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग.849–तीन/10 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–7–15	आवेदक की ओर से श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभि. तथा अना. की ओर से श्री आर.एस.सेंगर अभि. उप. । उभयपक्ष ने राजीनाम आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दीवानी न्यायालय में भी राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है । दीवानी न्यायालय द्वारा राजीनामे के अनुसार आवेदक को भूमिस्वामी व अधिपत्यधारी मान्य किया है जिसके आदेश की फोटो कापी प्रस्तुत की गई है । राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है । विवादित भूमि सर्वे क. 599 रकबा 8 बीघा का आवेदक राजीनामा अनुसार भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी रहेगा तथा राजस्व कागजात में अपने नाम नामान्तरण कराने का अधिकारी रहेगा । राजीनामा आवेदन आदेश का अंग माना जावेगा । यह प्रकरण राजीनामे के आधार पर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

TEN RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय :– श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0आर. ....थर्ड / 2010

नूरउद्दीन पुत्र मोहम्मद खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम वधी वुर्जुव तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0

................आवेदक

बनाम

1–वजीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी ग्राम वधी वुजुर्व तह0व जिला श्योपुर म0प्र0

2–रूक्को पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी ग्राम छांड तहसील खंडार जिला सवाई माधौपुर राजस्थान

3–जैरा पुत्री नजीर जाति मुसलमान निवासी ग्राम फक्कड़ चौराहा श्योपुर तह0वजिला श्योपुर म0प्र0

.................अनावेदकगण

R 849- III/10

श्री ... द्वारा आज दि० 23-6-10 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 17/6/10 न्यायालय श्रीमान्अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क्र0 50/09–10 अपील /निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1059

महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नांनुसार प्रस्तुत है:–

1– यहकि,ग्राम वर्धी वुजुर्व तह0व जिला श्योपुर में स्थित कृषि सर्वे क्र.599/4 रकवा 8 बीधा यानि 1.672 है0 के अभिलिखित भूमि स्वामी पटवारी अभिलेख में अनावेदकगण के नाम दर्ज थी ।

2– यहकि,आवेदक द्वारा तेहसील न्यायालय श्योपुर के समक्ष एक आवेदन धारा 169,190,110,म0प्र0भू0रा0संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि को अनावेदक द्वारा 8000/–रूपये प्राप्त कर मोखिक अनुवंध के आधार पर हमेशा हमेश के लिये पट्टे पर दिनांक 14/3/83 को जुता दी थी तथा कब्जा भी सोप दिया था । आवेदक उसी समय से विवादित भूमि पर खेती करता चला आ रहा है तथा लगान अदा करता चला आ रहा है ।

3– यहकि,आवेदक के आवेदन पर से तहसील न्यायालय द्वारा प्र0क्र06/94–95अ/46 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 27/5/96 द्वारा विवादित भूमि पर आवेदक नूरउददीन के नाम भूमि स्वामी के रूप में नामांतरण स्वीकार किया गया ।

4– यहकि,यहकि,अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय तहसील के आदेश के विरूद्व श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय् श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क्र037/95–96 अपील पर पंजीवद्व की जाकर पारित आदेश दिनांक 26/2/2001 द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय तहसील का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया ।

5– यहकि,प्रकरण तहसील न्यायालय को प्राप्त होने पर प्र0क्र0774/03–04 बी.12 पर पंजीवद्व कर पटवारी कागजात से आवेदक नाम को अमल को आदेश दिनांक 1/7/04 द्वारा निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया ।